	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 19, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 10, 2020 *Bhadra 19, Thursday, Saka 1942–September 10, 2020*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 31, 2020

संख्या प. 10 (न.पा.) (सीमावृद्वि) () डीएलबी/20/1371:- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एत्तद्वारा तत्काल प्रभाव से नगर पालिका खरेली की वर्तमान सीमा क्षेत्र में निर्देशानुसार निम्नांकित ग्रांम पंचायत , ग्रांम की सीमा को सम्मिलित करती है :-

क्रं.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगर पालिका की सीमा में शामिल ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम का विवरण
01..	अलवर	खेरली	ग्राम पंचायत सौंखर का राजस्व सीमा क्षेत्र ग्रांम पंचायत खेरली रेल का राजस्व सीमा क्षेत्र ग्राम प्रीतमपुरा

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव।

3409

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।